खाप पंचायत: दु:साहस के लक्षण?

जागमती सांगवान

हरियाणा में तेज़ पूंजीवादी बदलाव के साथ-साथ प्रतिगामी सामंतवादी चेतना भी बढ़ रही है। जैसे-जैसे दलितों, महिलाओं व पिछड़ी जातियों के बीच शिक्षा व राजनैतिक जागरूकता बढ़ती है खाप पंचायतें भी यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए संघटित होने लगती हैं। आजकल जाति पंचायतों द्वारा असंवैधानिक तरीकों से अवैध फैसले जारी करने के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। युवा जोड़ों, दलितों व प्रगतिशील विचारधारा वाले लोगों पर हमले भी बढ़ गये हैं।

हाल ही में करनाल सत्र अदालत ने मनोज-बबली 'सम्मान जनित हत्या' मामले में पांच दोषी अभियुक्तों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाकर जाति पंचायतों के बीच खलबली पैदा कर दी क्योंकि इसने उनको याद कराया कि खाप पंचायतें संविधान से ऊपर नहीं हैं। अदालत ने इस बात को भी गंभीरता से स्वीकारा कि मनोज व बबली की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसवाले ने दरअसल अभियुक्तों का साथ दिया था।

भौगोलिक रूप से छोटा होने के बावजूद हरियाणा समाज सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर विषमलैंगिक है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों व कुछ जातियों में गांव के भीतर व सगोत्र विवाह आम हैं। पर कुछ अन्य जातियों व इलाकों में ऐसी शादियां व्यभिचार की श्रेणी में गिनी जाती हैं। खाप व जाति पंचायतें भी पूरे राज्य में मौजूद नहीं हैं बल्कि एक विशेष क्षेत्र में ही इनका अस्तित्व है। इस लिहाज़ से किसी एक विशेष जाति के मुट्ठी भर लोग खुद को हरियाणा का सांस्कृतिक प्रतिनिधि घोषित कर देते हैं और अपने ही पड़ोस में रहने वाले दूसरे लोगों के रिवाजों व परम्पराओं को स्वीकारने से इंकार कर देते हैं।

इस समस्या का संदर्भ समझने के लिए हम हरियाणा की जनसांख्यिकी व विकास के आकड़ों पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय स्तर के हिसाब से दूसरे नम्बर पर आने वाला हरियाणा राज्य लिंग अनुपात के मामले में काफी निचले स्तर पर है— 0-6 उम्र समूह में 1000 लड़कों पर 821 लड़कियां। कन्या भ्रूण हत्या के कारण हालात इतने खराब हो गये हैं कि दूर राज्यों से विवाह के लिए लड़कियां लाई जा रही हैं। सम्मान के नाम पर हत्या का समर्थन करने वाली इन महापंचायतों ने एक बार भी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज या कृषि आपदा जैसी मुंह बाये खड़ी समस्याओं पर कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की है।

परन्तु मनोज-बबली मामले में फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के जाटों ने कुरूक्षेत्र में

13 अप्रैल 2002 को एक महाअधिवेशन आयोजित किया। इस गोष्ठी में यह तय किया गया कि 'सामाजिक व्यवस्था' की वैध सुरक्षा के लिए पंचायत अब कानूनी दर्जा हासिल करने के लिए संघर्ष करेंगी। इस महाअधिवेशन का एक मुख्य मुद्दा था 1955 के *हिंदू विवाह कानून* में संशोधन के लिए ज़ोर देकर सगोत्र विवाहों पर पाबंदी लगाना। इस कानून के अंतर्गत माता-पिता वंशावली संबंधी कुछ रिश्तों के बीच विवाह करने पर पाबंदी पहले से ही दर्ज है।

खाप पंचायत द्वारा जारी किए गए अधिकांश आदेश उन दम्पतियों के विरुद्ध हैं जिनका गोत्र अलग-अलग है। केवल एक हत्या के मामले में दम्पति का गोत्र एक था। ये झूठी अफवाहें फैलाकर कि युवाओं द्वारा अपनी पसंद से की गई सभी शादियां 'कौटुम्बिक व्यभिचार' हैं, ये खाप पंचायतें असलियत में युवाओं के खुद अपना साथी चुनने के अधिकार का विरोध कर रही हैं। अभी तक जितने मामलों में खाप ने फतवे जारी किए हैं उनमें कोई भी सगोत्र विवाह नहीं है। फिर भी शादीशुदा दम्पति को भाई-बहन बताकर, उन्हें व उनके परिवारों को सामाजिक बहिष्कार सहने व गांव से निकल जाने पर मजबूर किया गया है।

गोत्र फसादों के मामलों में एक अन्य मामला वेदपाल मोन का है जिसे पीट-पीटकर जान से मार डाला गया जब वो जीन्द ज़िले के सिंगवाल ग्राम में अपनी पत्नी को उसके माता-पिता की कैद से छुड़ाने गया था। वेदपाल के साथ उच्च न्यायालय का वारंट अफ़सर व पुलिस भी थी। वेदपाल का विवाह न तो गोत्र के भीतर था, न ही एक ही गांव का मामला था।

मार्च 2009 की खाप महासभा में वेदपाल को मौत की सज़ा सुनाई गई और जून में फैसले को अंजाम दिया गया। एक दूसरे मामले में खाप ने एक अन्य विचित्र रिवाज का सहारा लिया था- दम्पति की शादी 'भाईचारा' गांव में हुई थी इसलिए उसे खारिज कर दिया गया। जिन दम्पतियों को निशाना बनाया गया है उसे देखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि असली मकसद औरतों की यौनिकता पर नियंत्रण है जिससे सारी सम्पत्ति पितृसत्तात्मक जाति समूह यानी जाट समुदाय के बीच संघटित रहे।

सर्व खाप पंचायत नेताओं ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है जो जाति पंचायत की मुखालफ़त कर रहे हैं। एक पूर्व पुलिस अध्यक्ष जो हरियाणा की जाति पंचायत का सदस्य भी है ने खुले आम खाप आलोचकों को धमकी दी है। सवाल यह है कि पूर्व पुलिस महानिदेशक कानून का अनुसरण करने वाले नागरिकों को इस तरह खुलेआम धमकी देकर सार्वजनिक राजकोष से पेंशन व अन्य सुविधाओं का हक़दार कैसे हो सकता है?

जाति पंचायतों ने पिछड़े वर्गों से उठने वाले विरोध के स्वरों को कुचलने का इरादा किया है। 21 अप्रैल को मिर्चपुर ग्राम में पुलिस की मौजूदगी में उच्च जाति के गुंडों ने बीस दलितों के घर जला दिए जिसमें 18 वर्ष की एक अपंग लड़की और उसके बीमार पिता की मौत हो गई। घटना के तीन दिन बाद मिर्चपुर की खाप पंचायत ने सभी अभियुक्तों को निर्दोष ठहराते हुए उनकी रिहाई के लिए सरकार को अंतिम चुनौती जारी की। गोहाना (2005) व दुलीना (2002) गांवों की पंचायतों ने भी दलितों पर हमले में यही रुख अपनाया था। सामाजिक व आर्थिक कमज़ोर वर्ग के बुजुर्गों के साथ भी कोई रियायत नहीं बरती गई। दिसम्बर 2009 में खेड़ी मेहम ग्राम के एक नव-दम्पति के पिता को पूरे गांव के सामने मुंह में जूता पकड़ने की सज़ा पंचायत ने दी थी।

आम नागरिक दो नैतिक पक्षों के बीच विरोधाभास में घिरे हैं— नये उदारवादी प्रबंध के अंध-उपभोक्तावाद व खाप प्रतिनिधित्व पुराने सामंतवादी मूल्य। इन दोनों पक्षों के बीच कोई तालमेल नहीं है, न ही एक की जगह दूसरा ले सकता है। सच तो यह है कि झूठी आधुनिकता पुरातन पंथियों को और अधिक सशक्त बनाती है। इन दोनों विकारों का विकल्प है पूरे हिन्दी भाषी क्षेत्र में एक ऐसे आंदोलन

की शुरूआत जो स्वस्थ व प्रगतिशील मूल्यों का संचार करे।

इसके साथ-साथ न्याय प्रणाली को भी एक अहम परन्तु सीमित भूमिका अदा करनी होगी। 23 जून 2008 को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के एस अहलूवालिया ने 18 से 21 वर्षीय युवा दम्पतियों के दस मामलों को सुनकर ये टिप्पणी की, "उच्च न्यायालय में उन तमाम याचिकाओं की बाढ़ लगी है जिनमें... इस अदालत के न्यायधीशों को विवाहित दम्पतियों के जीवन व स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए जवाब देना पड़ता है। राज्य एक मूक दर्शक है। राज्य अपनी नींद से कब जागेगा तथा कब तक अदालतें इन मामलों का निपटारा करके सान्त्वना व मरहम लगाती रहेंगी?" जन आंदोलन के दबाव के माध्यम से एक कमज़ोर राजनैतिक इच्छा-शक्ति वाले विधान मंडल और घुटनाटेक कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना होगा।

विद्रोह के स्वर जनवादी जैसे संगठनों तथा अन्य प्रजातांत्रिक समूहों के साथ संघटित हो रहे हैं। युवा पीढ़ी को ज़िम्मेदार सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की हैसियत से आगे आकर एक सामंतवादी समाज, जो 'जिसकी लाठी उसी की भैंस' का अनुसरण करता है, के ख़िलाफ़ बदलाव लाने के लिए संघर्ष चलाना होगा। हरियाणा में हर बीतने वाले दिन की कीमत मासूम औरतें व पुरुष अपने जीवन से चुका रहे हैं।

जागमती सांगवान *जनवादी महिला समिति हरियाणा की राज्याध्यक्ष व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में महिला अध्ययन केन्द्र की डायरेक्टर हैं।*